लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3848
उत्तर देने की तारीखः 09.08.2016

अ.जा. उप-योजना

3848. डॉ. उदित राजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अधीन अ.जा. उप-योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान बजटीय आबंटन और संशोधित आबंटन में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक व्यय कितना है और निधियों के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय/विभाग-वार वित्तीय आबंटनों की तुलना में वास्तविक रूप से हासिल लक्ष्य कितना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग) : वर्ष 2014-15 के दौरान, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (स.अ.) और व्यय संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

ब.अ.	सं.अ.	व्यय
4927.90	4274.48	4255.20

बजटीय आबंटन और इसके कम उपयोग में अंतर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण था।

(घ) : व्यय बजट खंड-। के विवरण - 21 के अनुसार, अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) तथा व्यय का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। नीति आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत मंत्रालय/विभाग-वार वास्तवित लक्ष्य और उपलब्धि संबंधी आंकड़े उनके द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

******

अनुबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 3848 उतर देने की तारीख 09.08.2016 द्वारा डॉ उदित राज विषय अनुसूचित जाति उप-योजना

(करोड़ो में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	वर्ष 2014-15 का अनुसूचित जाति का उप योजना के अन्तर्गत मंत्रालय/विभाग वार ब्यौरा बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय का ब्यौरा		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	1930.88	1793.34	1546.69
2	पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	352.19	250.14	258.83
3	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्या और होमियोपैथी विभाग आयुष मंत्रालय	53.45	23.34	23.34
4	वाणिज्य मंत्रालय	100.00	90.00	86.25
5	इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	77.00	51.71	65.79
6	पेयजल तथा स्वचछता मंत्रालय	3358.00	2662.00	1450.40
7	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	40.06	29.75	28.56
8	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	4658.04	3517.47	3145.48
9	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10326.34	8793.41	8383.55
10	उच्चतर शिक्षा विभाग	2538.89	1962.06	1807.06
11	श्रम और रोजगार मंत्रालय	396.25	239.76	190.42
12	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	399.24	262.84	259.26
13	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	33.00	23.00	23.00
14	पंचायती राज मंत्रालय	1134.00	545.00	-
15	विद्युत मंत्रालय	800.00	548.10	548.10
16	ग्रामीण विकास विभाग	14033.47	4071.73	3661.70
17	भू-संसाधन विभाग	607.50	405.17	405.92
18	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	78.12	46.00	45.99
19	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	4837.50	4216.62	4204.31
20	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग	90.40	57.86	45.29
21	कपड़ा मंत्रालय	231.55	165.00	46.45
22	महिला और बाल विकास मंत्रालय	4220.00	3700.00	3669.97
23	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	251.20	157.00	121.74
	कुल	**50548.16**	**33638.11**	**30035.07**